राज्य सेवा संवर्ग संघर्ष समिति

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ
बिहार पुलिस सर्विस एसोसियेशन
बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ
4 बिहार अभियंत्रण सेवा संघ
5 बिहार वित्त सेवा संघ
6 बिहार पशुपालन सर्विस एसोसियेशन
7 बिहार पुलिस एसोशियेसन
8 बिहार योजना एवं विकास सेवा संघ
9 बिहार सचिवालय सेवा संघ
10 बिहार पुलिस मेन्स एसोशियेसन
11 बिहार लेखा सेवा संघ
12 बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संघ
13 बिहार प्रदेश फार्मेसी शिक्षक संघ
14 बिहार कृषि सेवा संघ
15 बिहार सांख्यिकी सेवा संघ
16 बिहार सहकारिता अंकेक्षण सेवा संघ
17 बिहार आशुलिपिक सेवा संघ
18 बिहार आपूर्त्ति सेवा संघ
19 बिहार पंचायत सेवा संघ
20 अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ

पत्रांक :– ......71........ दिनांक :– 31.07.15

सेवा में,

माननीय मुख्यमंत्री,
बिहार सरकार।

विषय :– प्रोन्नति समिति की बैठक पर रोक हटाने के संबंध में।

महाशय,

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रिट याचिका (सिविल) संख्या–61/2002 एम0 नागराज एवं अन्य बनाम् भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 19.10.2006 को पारित न्याय निर्णय के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक–11635 दिनांक 21.08.2012 द्वारा राज्य सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कर्मियों को प्रोन्नति में आरक्षण की सुविधा परिणामी वरीयता के साथ अगले आदेश तक जारी रखने का निर्णय लिया गया। इस संकल्प के विरूद्ध सुशील कुमार सिंह व अन्य के द्वारा समादेशवाद संख्या–19114/2012 दायर किया गया जिसमें दिनांक 05.08.2014 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त संकल्प पर रोक लगा दी जिसके बाद सामान्य प्रशासन ने ज्ञा0 2012 दिनांक 12.08.2014 द्वारा राज्य सरकार की सभी सेवाओं एवं पदों (क्षेत्रीय कार्यालयों सहित) पर प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक पर रोक लगायी गई।

इस मामले में दिनांक 04.05.2015 को माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आने के बाद सरकार के द्वारा दिनांक 12.08.2014 को प्रोन्नति समिति की बैठक की कार्यवाही पर रोक न तो हटाई गई है और न ही प्रोन्नति देने की कार्रवाई प्रारम्भ की गई है बल्कि सरकार के द्वारा LPA दायर की गई। किसी न्यायालय का जो भी निर्णय होता है विक्षुब्ध वादी/परिवादी उच्चतर न्यायालय में जाता है यह एक कानूनी प्रक्रिया है। जिसके फलाफल का कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं है। LPA 1066/2015 में माननीय उच्च न्यायालय का आदेश दिनांक 30.07.2015 को आ गया है। इसके पूर्व इस बिन्दु पर Attorney-general भारत सरकार का राय भी प्राप्त किया गया है।

प्रोन्नति समिति की बैठक पर रोक माननीय उच्च न्यायालय का आदेश नहीं है। प्रोन्नति बाधित करना न्यायोचित नहीं है। सरकार का दायित्व कि इसका न्यायोचित रास्ता निकालकर प्रोन्नति समिति की बैठक पर लगायी रोक को हटाते हेतु प्रोन्नति का रास्ता प्रशस्त करे। प्रोन्नति समिति की बैठक नहीं होने से अनुजाति/जनजाति के अतिरिक्त अन्य सभी वर्ग के कर्मचारी/पदाधिकारी का प्रोन्नति बाधित हो गया है। कर्मचारी/पदाधिकारी सवेनिवृत्त हो रहे है उन्हें पेंशन की राशि का नुकसान हो रहा है। कर्मचारी/पदाधिकारी का मनोबल गिरता जा रहा है। विभिन्न पदों पर रिक्तियों बढ़ती जा रही है जिसका असर सरकारी कामकाज पर पड़ रहा है।

Q.7/10

भवदीय से विन्रमँ अनुरोध है कि राज्य के सभी कर्मचारियों/पदाधिकारियों के हित की रक्षा करने हेतु प्रोन्नति समिति पर रोक हटाते हुए प्रोन्नति का रास्ता प्रशस्त करने की महती कृपा की जाए।

ह0/–
(सुशील कुमार)
महासचिव
बिहार प्रशासनिक सेवा संघ
सह
संयोजक राज्य सेवा संवर्ग संघर्ष समिति

ह0/–
(सुरेश कुमार शर्मा)
अध्यक्ष
बिहार प्रशासनिक सेवा संघ
सह
अध्यक्ष राज्य सेवा संवर्ग संघर्ष समिति

प्रतिलिपि :– सभी माननीय मंत्री, बिहार सरकार को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि अपने स्तर से राज्य के कर्मी/पदाधिकारी के हित के लिए अपने स्तर से प्रोन्नति समिति पर रोक हटाने की दिशा में न्योयोचित कार्रवाई की जाए।

(सुशील कुमार)
संयोजक